राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013/18991 जयपुर, दिनांकः– 21/10/21

आदेश

राजस्थान लोक सेवा वाहन अधिग्रहण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये निर्धारित किया जाता है कि "पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा–2021 के परीक्षार्थियों को परीक्षा से दो दिन पूर्व तथा एक दिन पश्चात् परिवहन विभाग द्वारा अधिग्रहित निजी बसों में राज्य सीमा के भीतर निःशुल्क यात्रा हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013/17409 दिनांक 23.09.2021 के अतंर्गत अधिग्रहित किये जाने वाली निजी बसों (अधिकतम दो दिवस) को क्षतिपूर्ति (compensation) निम्नलिखित दरों पर देय होगीः–

1. बैठक क्षमता 21 सीट तक के यात्री वाहन – रूपये 3000/– प्रतिदिन।
2. बैठक क्षमता 22–32 सीट तक के यात्री वाहन – रूपये 4000/– प्रतिदिन।
3. बैठक क्षमता 32 सीट से अधिक के यात्री वाहन – रूपये 5000/– प्रतिदिन।

इसके अतिरिक्त वाहन मालिकों को वाहन के संचालन के अनुसार प्रति कि.मी प्रति सीट 0.85 रूपये की दर से भुगतान किया जायेगा।

(महेन्द्र सोनी)
परिवहन आयुक्त एवं
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांकः– प.7(100)(71)परि/नियम/मु./2013/18992-103 जयपुर, दिनांकः– 21/10/21

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, माननीय परिवहन राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव।
6. समस्त जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।
7. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
8. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण, परिवहन विभाग, जयपुर।.
9. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट को विभाग की वेबसाइट पर अपडेटिंग हेतु।
10. समस्त अपर परिवहन आयुक्त।
11. समस्त प्रादेशिक/अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
12. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)